

साक्ष्य वादा में दिनांक 11-3-25 को पेश हो।

५५

11-3-25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में वकील वादी साक्ष्य हेतु वादी गवाह पेश करने का अवसर चाहते हैं। पूर्व में इन्हें कई अवसर दिये जा चुके हैं। उससे पूर्व में अनिमित्त अवसर दिया गया था। किन्तु फिर भी साक्ष्य पेश नहीं की गई, प्रकरण में बार बार अवसर दिये जाने के पर्याप्त साक्ष्य वादी पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी बन्द कि जाती हैं। प्रकरण में साक्ष्य बन्द होने से दस्तावेज प्रदर्शनी नहीं हो सके हैं। प्रकरण में दस्तावेज नहीं होने से दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं आये हैं। जब दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में दावा सिद्ध नहीं होता है। अतः वादवादी गण का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्तव में सल शुमार होकर नम्बर से कम हो। ५५